न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
वाद संख्या–124 / 2013
राजेन्द्र साह बनाम श्रवण साह एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
27/03/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अपीलकर्त्ता राजेन्द्र साहु, पे0–स्व0 केशो साहु, साकिन–ननौरा, थाना–केवटी, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक 20.06.13 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा दायर वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय के अभिलेख की मॉग की गयी। प्रतिपक्षी के सदस्यों के द्वारा सूचना के तामिलोपरान्त अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम सें प्रतिउत्तर दाखिल किया गया, जिस पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना। अपीलकर्त्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–ननौरा, अंचल–केवटी अन्तर्गत खाता सं0–202(पुराना) 72 नया खेसरा संख्या 806 पुराना 981 नया रकवा 14 धुर भूमि है, जिसके संबंध में प्रतिपक्षी संख्या–01 श्रवण कुमार साह जो अपीलकर्त्ता के सह हिस्सेदार है, के द्वारा निबंधित विक्रयपत्र पर दिनांक 21.11.12 के द्वारा प्रतिपक्षी सं0–02 रामबाबू साह को बिक्री की गयी है। बिक्री किये गये भूखण्ड के किसी भी चौहद्दी में क्रेता रामबाबू साह द्वारा कोई भी भूमि धारित नही की गयी है, न हीं क्रेता रामबाबू साह अपीलकर्त्ता के सह हिस्सेदार ही है, ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय के विधि आधारित सिद्धान्तो के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा दायर लैण्ड सिलिंग वाद सं0–18 / 12–13 में क्रेता (प्रतिपक्षी सं0–02) के भूमिहीन होने के दावे के आधार पर अपीलार्थी कें प्रिएम्पशन हित के विरूद्ध अस्वीकृत कर दिया गया हैं, जो इस न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्त्ता के दावे को चुनौती देते हुए अभिव्यक्त किया है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः सही एवं विधि आधारित सिद्धान्तों के अनुरूप है, जिसमें किसी भी प्रकार का इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। उनका यह भी कथन है कि प्रतिपक्षी सं0–01 एवं 02 के द्वारा संयुक्त रूप से निम्न न्यायालय के समक्ष प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। उनका यह भी कहना है कि अपीलकर्त्ता राजेन्द्र साह प्रतिपक्षी सं–01 श्रवण कुमार साह के सह हिस्सेदार एवं समासन्न रैयत है, जिसके आधार पर उनका दावा स्थापित होना न्याय के दृष्टि मे तर्कसंगत नही है। क्रेता रामबाबू साह के पक्ष में निष्पादित केवाला दिनांक 21.11.12 मे अंकित भूमि के विवरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है	

कि विक्रय की जानेवाली 14 धुर भूमि क्रेता द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु खरीद की जा रही है, जो व्यवसायिक उपयोग की भुमि है। उनका यह भी कहना है निबंधन पदाधिकारी द्वारा जॉच के उपरान्त पीच सड़क के बगल में अवस्थित विक्रय की गयी भूमि का निबंधन व्यवसायिक मुल्यांकन के आधार पर किया गया है तथा क्रेता द्वारा उक्त भवन से व्यवसाय किये जाने के उद्देश्य मात्र से भूमि खरीद की गयी है, जिसके विरूद्ध लैण्ड सिलिंग वाद मान्य नही है। प्रतिपक्षी सं0–02 का परिवार एक संयुक्त परिवार है,जो संयुक्त रूप से एक एकड़ से अधिक भूमि धारित नहीं करते है, तथा भूमिहीन श्रेणी के व्यक्ति है। उपरोक्त तथ्यों एवं विक्रयपत्र के अवलोकनोपरान्त निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः समीचीन एवं न्यायसंगत आदेश है, जिस कारण अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की याचना करते है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत केवाला दिनांक 21.11.12 के अनुसार विक्रय किया गया भूखण्ड, जिसका रकवा 14 धुर है की प्रकृति विक्रय अभिलेख के अनुसार आवासीय भूमि है। विपक्षी का दावा है कि उसका उपयोग कृषि के लिए नही किया जाना है तथा इसका रकवा मात्र 14 धुर है जो कि कृषि उपयोग के दृष्टिकोण से काफी छोटी भूमि है जिस कारण भी इसे कृषि योग्य नही माना जा सकता है। विपक्षी के भूमिहीन होने के दावे के संबंध में भी अपीलकर्त्ता द्वारा कोई प्रतिकूल साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलकर्त्ता मात्र भूमि के स्थल निरिक्षण का अनुरोध करते है लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे कि उनके दावे की पुष्टि हो। ऐसी परिस्थिति में स्पष्टतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.13 को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है

27/3/15

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।